

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, लोलावा)


प्रकरण सं.:- 139/2018

दिनांक:- 21.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1789

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी गोलिया जीवराज व भू.अ.नि. सड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 42 एवं ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी के खाता संख्या 39 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि नरसिंगा पुत्र ऊकाराम के स्थान पर नरसीराम पुत्र ऊकाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। शेष बद्दुस्तर रहेगा।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 21.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1790-92

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नरसीराम पुत्र ऊकाराम निवासी लोलावा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी